



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9839

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 31708 वर्ष 2025

राज निषाद

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	: सुरेन्द्र मोहन मिश्रा, यतीन्द्र कुमार दूबे
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए., कुंदन मिश्रा, विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री कुंदन मिश्रा, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 218 वर्ष 2025, धाराओं 191(2), 191(3), 115(2), 117(2), 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - रुद्रपुर, जिला - देवरिया में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, दिनांक 13.6.2025 को लगभग 5.00 बजे सायं आवेदक द्वारा सह-अभियुक्त रतनदीप निषाद और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर सूचनाकर्ता के पुत्र पर हमला कर उसे गंभीर चोटें पहुँचाना बताया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में एक दिन से अधिक की देरी हुई है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि बाद में चोटों से दम तोड़ने वाले घायल व्यक्ति के बयान में भी सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप हैं। अभियोजन द्वारा तत्पश्चात प्रस्तुत एक प्रत्यक्षदर्शी, अर्थात् बाँबी देओल, ने भी सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आरोप ही लगाए हैं। आवेदक को कोई विशेष प्रत्यक्ष कृत्य नहीं सौंपा गया है।
7. विद्वान अधिवक्ता ने पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट पर निर्भरता व्यक्त की है जिसके अनुसार मृतक को लगी चोटें केवल अंगों पर हैं, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर नहीं हैं, अतः उचित उपचार न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हुई होगी। अतः आवेदक जमानत का अधिकारी है।
8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि मृतक के बयान का वीडियो भी दर्ज किया गया था जिसमें उसने आवेदक को घटना में नामजद नहीं किया है। बल्कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को अलग किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 25.6.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है कि घटना का एक वायरल वीडियो है जिसमें आवेदक सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मृतक पर हमला करते दिख रहा है। दोनों अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कुल मिलाकर तीस से अधिक वार किए गए, अतः पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट झूठी है।
10. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मृतक को लगी चोटों, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में एक दिन से अधिक के विलंब तथा सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप होने को दृष्टिगत रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
11. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **राज निषाद** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर



निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

12. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

शालिनी